Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. बीदाराम पुत्र भारू राम जाति चमार साकिन ठेठार तहसील सूरतगढ़
2. अधिशाषी अभियंता, जल संशाधन खण्ड़ सूरतगढ़

किस्म मुकदमा– रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या– 349/2013 जीसीएमएस प्र0स0– 2013/00757

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
15.01.2025	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष हाजिर। पत्रावली का अवलोकन करने से पाया कि प्रार्थी तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा यह रेफरेन्स दि.19.03.2013 को पेश किया गया है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 बीदाराम की दिनांक 05.12.1987 को मृत्यु हो चुकी थी। इस प्रकार यह रेफरेन्स मृतक के विरूद्व पेश किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्व है तथा शुरू से ही NULL AND VOID एवं शून्य है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा आज दिनांक तक अप्रार्थी के वारिसान को प्रकरण में पक्षकार बनाने हेतु आज दिनांक तक संशोधित शीर्षक पेश नहीं किया गया है। अतः हस्तगत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र तहसीलदार सूरतगढ़ को इस आश्य के साथ वापिस लौटाया जाता है कि आप द्वारा प्रस्तुत हस्तगत रेफरेन्स प्रकरण मृतक के विरूद्व पेश किया है, जो प्राकृतिक न्याय अनुसार शुरू से ही शून्य है। प्रकरण में तहसीलदार सूरतगढ़ को अप्रार्थीगण के विधिक वारिसान की सूची, प्रकरण संशोधित शीर्षक पेश करने हेतु वर्ष 2013 से लिखा जा रहा है, परन्तु आप द्वारा आज दिनांक तक वांछित सूचना/संशोधित शीर्षक पेश नहीं किया गया है। अतः प्रकरण में मृतक मूल आवंटी के विधिक वारिसान को पक्षकार बनाते हुए, मूल आवंटन अभिलेख की प्रमाणित प्रति, आवंटन के समय तथा वर्तमान में रकबा पर कौन व किस हैसियत से काबिज है, की रिपोर्ट सहित तथा यदि रकबा जल संशाधन विभाग द्वारा अवाप्तशुदा/विभाग के लिए आरक्षित है तो जल संशाधन विभाग को भी पक्षकार बनाते हुए, अवाप्ती संबंधी/आरक्षण संबंधी अभिलेख सहित एवं रकबा के संबंध में वादों की बहुलता को रोकने हेतु स्थगन प्रार्थना सहित अविलम्ब नियमानुसार वापिस इस न्यायालय में पेश करे। चूंकि प्रकरण राज्य हित से संबंधित है अतः पुनः रेफरेन्स पेश करने में होने वाले विलम्ब के लिए तहसीलदार सूरतगढ़ स्वयं व्यक्तिशः उत्तरदायी होंगें। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। 15-1-25 (कन्हैया लाल सोनगरा) अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2025.01.28 11:18:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner